FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0123 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/05/2026 21:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:34 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/05/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/05/2026 21:24:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 20 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** DINESH SINGH KALERA KA MAKAN, GIRLS COLLAGE KE SAMANE, KESHVRAY PATAN JILA BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PRITHVIRAJ SINGH HADA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GIRIRAJ SINGH HADA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	714, RANGBARI,KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	714, RANGBARI,KOTA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SATVEER SINGH URF SATVEER KUMAWAT		पिता:KESARARAM	1. DR.VILAS RAV KA MAKAN,RIDHI SIDHI COLONY KUNHARI,KOTA,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2026 समय 5.15 पी.एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा ने कार्यालय भ्रनिब्यूरो एसयु कोटा मे उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा ने स्वयं के हस्ताक्षरशुदा इस आशय का पेश किया कि ''मै पृथवीराज सिंह हाडा पुत्र श्री गिरीराज सिंह हाडा, मकान नम्बर-714, रंगबाडी, कोटा का निवासी हुं तथा ठेकेदारी का कार्य करता हुं। मै फर्म शिवा एन्टरप्राईजेज, वेष्णवी विहार, रंगपुर रोड, कोटा का अधिकृत व्यक्ति होने से उक्त फर्म के नाम से पंचायतराज विभाग मे स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठेके लेकर सम्बंधित ग्राम पंचायतों में कार्य करता हुं। मेने ग्राम पंचायत सखावदा, के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव में कचरा संग्रहण, सडक एवं नाली सफाई व सामुदायिक परिसरों की साफ-सफाई का ठेका पंचायत समिति केशोराय पाटन के कार्यादेश क्रमांक 431-34 दिनांक 17.10.2025 से प्राप्त किया था उसके बाद मैने उक्त ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी गांवो में साफ सफाई का कार्य कर जनवरी से मार्च तक तीन माह के कार्य के भुगतान हेतू माह जनवरी का बिल राशि 50,274 रूपये, माह फरवरी का बिल राशि 47,070 रूपये तथा माह मार्च का बिल राशि 53,033 रूपये के बनाकर पंचायत सखावदा में ग्राम विकास अधिकारी श्री सतवीरजी को दे दिये थे। मेरे सारे बिल ग्राम पंचायत सखावदा से अप्रेल माह में पास हो गये थे। मेरे उक्त सारे बिल 1,50,377 रूपये के पास किये थे उनकी एवज में तथा मेरी सिक्योरिटी राशि 10,000 रूपये वापस दिलवाने के लिये तथा मेरे पहले से जारी हुये अन्य टेण्डर आरआरसी (कचरा संग्रहण केन्द्र) ग्राम पंचायत सखावदा के कार्य को निर्बाध रूप से करने देने व परेशान नहीं करने की एवज में 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर मेरी फर्म को ब्लेक लिस्टेड करवाने की धमकी दे रहा है। मै मेरे जायज काम का भुगतान लेने के बदले सतवीरजी, ग्राम विकास अधिकारी सखावदा, पंचायत समिति केशोराय पाटन, जिला बून्दी को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी सतवीर जी से कोई दुश्मनी नहीं है ना ही उनसे कोई उधार का लेन-देन बकाया है। चुकिं मामला रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने का पाया गया है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा से आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय कार्यादेश मुझे सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 0520 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक पृथवीराज मीणा, परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय कार्यादेश की फोटो प्रति के अपने चेम्बर मे लेकर आया जहा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथयों को ही दोहराया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथयों व दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आता है। परिवादी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने अवगत कराया कि आज हम ग्राम पंचायत सखावदा पहुंचेगे तब तक कार्यालय बन्द हो जायेगा। ग्राम विकास अधिकारी सतवीर वहां नहीं मिलेगा। वह कल दिनांक 06.05.2026 को कार्यालय, ग्राम पंचायत सखावदा पर मिल जाएगा। जहां पर ही वह रिश्वत की मांग करेगा। समय करीब 06.00 पीएम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा को कल दिनांक 06.05.2026 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 06.05.2026 समय 10.00 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा कार्यालय मे उपस्थित आया व परिवादी ने बताया कि मेरी श्री सतवीर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सखावदा से मोबाइल पर वार्ता हुई है उसने मुझे 02 बजे ग्राम पंचायत सखावदा पर मेरे बिल तथा सिक्यूरिटी राशि के बारे में बात करने के लिए सखावदा मे बुलाया है समय करीब 10.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाना मे रखे सोनी कम्पनी के डिजिटल वाईस रिकॉडर मय नया मैमोरी कार्ड जरीये श्रीमती सरोज हैड कानि. 81 से निकलवाया जाकर डिवीआर को कार्यालय के लेपटॉप मे लगाकर क्लीन किया गया तत्पश्चात डिवीआर मे नया मैमोरी कार्ड KDM connecting forever 16 GB लगाया जाकर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिहं हाडा को चालू व बन्द करने की विधी भलीभाति समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। एक अन्य गोपनीय कार्यवाही मे रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु श्रीमती अनिता वर्मा हमराह श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि0 132 एवं परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा को अपने साथ लेकर व्यस्त है। श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक को हिदायत की गई कि बाद कार्यवाही परिवादी व श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि0 को

लेकर गोपनीय स्थान भीया लिंक रोड पर मिले। 1210 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन के मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु एसीबी एसयू कोटा से भीया लिंक रोड के लिए रवाना हुआ। समय करीब 0100 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन के मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मेगा हाइवे, कोटा-दौसा, भीया लिंक रोड, के0पाटन पहुंचा जहां श्रीमती अनिता वर्मा व जाप्ता परिवादी का इन्तजार करने लगा। 0110 पीएम पर श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक हमराह जाप्ता श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि. 132 एवं परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा मय उसके दोस्त श्री प्रतीक शर्मा के मेगा हाइवे, कोटा-दौसा, भीया लिंक रोड, के. पाटन पर पहुंची जहां परिवादी व उसके मित्र प्रतीक एवं श्री जितेन्द्र सिहं को हमराह साथ लेकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ग्राम पंचायत सखावदा के लिए प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ एवं श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक कार्यालय के लिए रवाना हुई। समय करीब 0211 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री पृथवीराज सिह हाडा मय परिवादी के दोस्त श्री प्रतीक शर्मा, श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. 132 के रवानाशुदा ग्राम पंचायत सखावदा से पहले गोपनीय स्थान पर पहुचा। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के डीवीआर को पुनः चलाने व बन्द करने की विधी समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उसके दोस्त सहित ग्राम पंचायत सखावदा के लिए रवाना किया तथा उसके पीछे-पीछे निगरानी हेतु मन पुलिस निरीक्षक व श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि. के रवाना हुआ। करीब 0222 पीएम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा मय श्री प्रतीक शर्मा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ बाद रिश्वत मांग सत्यापन के मन पुलिस निरीक्षक के पास पहुंचा। परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया व जुबानी बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर ग्राम पंचायत सखावदा जा रहा था तो रास्ते मे ग्राम विकास अधिकारी श्री सतवीर सिहं उनकी मोटर साईकिल के साथ खडे मिले। जिनसे मैने बात की तो वह मेरी गाड़ी में आकर बैठ गये उसके बाद उनसे मैंने मेरे टेण्डर मे किये गये काम, आरआरसी के काम एवं अमानत राशि लोटाने के सम्बन्ध मे बातचीत की तो श्री सतवीर सिहं ने मेरे द्वारा पूर्व में पेश किये गये बिल पास कर देने, मेरे सिक्यूरिटी राशि वापस लौटाने तथा आरआरसी के टेण्डर के काम को निर्वाद रूप से चलने देने एवं परेशान नहीं करने के बदले 25000 रूपये की रिश्वत की मांग की तथा कल दिनांक 07.05.2026 को रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। मेरे एवं आरोपी सतवीर सिहं के बीच जो भी रिश्वत मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हुई है उसको मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड कर लिया था। इस पर मौके पर ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सूना तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सूरक्षित रखा तथा परिवादी उसके मित्र एवं श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि0 के मौके से प्राईवेट वाहन से भ्रनिब्यूरो एस.यू. कोटा के लिए रवाना हुआ। समय करीब 0430 पीएम पर ग्राम पंचायत सखावदा गोपनीय स्थान से रवानाशुदा मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, उसके दोस्त एव श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि. के एसीबी एस.यू.कार्यालय कोटा पहुंचा जहां सम्पूर्ण हालात से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपनी निगरानी मे सूरक्षित रखा। करीब 0520 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप की कार्यवाही कल दिनांक 07.05.2026 को होना संभावित है कार्यवाही मे दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता के मध्य नजर सयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड कोटा के नाम पत्र क्रमांक 437 दिनांक 06.05.2026 जारी किया जाकर श्री भूपेन्द्र सिहं कानि. को गवाह लाने हेतु रवाना किया। समय करीबी 0545 पीएम श्री भूपेन्द्र सिह कानि. कार्यालय सयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड कोटा से दो स्वतन्त्र गवाह लेकर उपस्थित आया। आमदा गवाहान से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री इमरान खान पुत्र श्री उरफान हुसैन जाति मुसलमान, उम्र 39 साल निवासी मकान नंबर 29, बक्शी स्कूल के सामने, बृज विला कोलोनी पुलिस थाना बोरखेडा कोटा शहर हाल कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, नयापुरा कोटा मोबाईल नम्बर एवं दूसरे ने अपना नाम श्री दीपक कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री प्रेमशंकर मीणा जाति मीणा, उम्र 27 साल निवासी मकान नंबर 844, एम. बी.एस. रोड़, रंगबाडी कोटा हाल कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, कार्यालय उप निदेशक उद्यान, नयापुरा कोटा मोबाईल नम्बर होना बताया। दोनो गवाहान श्री इमरान खान व श्री दीपक कुमार मीणा का परिचय उपस्थित परिवादी श्री पृथवीराज सिहं पुत्र श्री गिरीराज सिहं हाडा जाति राजपुत उम्र 22 साल निवासी मकान नम्बर 714 रंगबाडी कोटा से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सूनाया एवं सत्यापन वार्ता के मुख्य अशं गवाहान को सुनाकर होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर कार्यवाही मे गवाह बनने की सहमति देते हुये प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय करीब 7.00 पी.एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा व स्वतन्त्र गवाहन इमरान खान व श्री दीपक कुमार मीणा की मौजूदगी मे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमे परिवादी पृथवीराज सिहं हाडा व आरोपी श्री सतवीर सिहं के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वाता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रखे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होकर सेव है। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड के श्री भूपेन्द्र सिहं कानि0 को निर्देश देकर कार्यालय के लेपटॉप मे लगवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे सेव फाईल से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिवाकर आरोपी सतवीर सिहं व परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को क्लीक कर

दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को लेपटॉप के स्पीकर ऑन कर सूनाया गया। उक्त वार्ता मे आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिहं ग्राम विकास अधिकारी की व तीसरी आवाज अपने दोस्त प्रतीक शर्मा की होना पहचान की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन मे श्री भूपेन्द्र सिहं कानि द्वारा वार्ता को सून सून कर लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रादि की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया समय करीब 830 पी.एम पर बाद कार्यवाही परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 07.05.2026 को समय 8.00 ए.एम. पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय मे उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। तथा ट्रेप टीम मे शामिल होने वाले जाप्ते को भी समय 8.00 ए.एम. पर उपस्थित आने की हिदायत दी गयी तथा कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रनिब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा में कार्यरत महिला कानि. श्रीमती मीनाक्षी हाडा 278, श्री मोहित चंदेल स्टेनो एवं इन्टे. कोटा के चालक श्री महेन्द्र सिंह 507 को भी मय सरकारी वाहन थार जीप के समय 08 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष पाबंद किया गया । दिनांक 07.05.2026 को समय करीब 8.00 ए.एम पर पाबन्दशुदा श्रीमती मीनाक्षी हाडा कानि व श्री मोहित चंदेल स्टेनो कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा तलविदा उपस्थित आये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री इमरान खान एवं दीपक कुमार मीणा कार्यालय मे उपस्थित आये। समय 815 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा मन पुलिस निरीक्षक के चेम्बर मे उपस्थित आया व बताया कि मै आपके कार्यालय की दूसरी कार्यवाही मे व्यस्त हूं फ्री होने के बाद आपके पास आकर रिश्वत राशि पेश कर दूगां। समय 0835 ए.एम पर पाबंदशुदा श्री महेंन्द्र सिंह कानि. चालक इन्टे. कोटा के सरकारी वाहन थार जीप के उपस्थित आया। समय 930 ए.एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा कार्यालय हाजा में होने वाली अन्य ट्रेप कार्यवाही में आवश्यक कार्यवाही के पश्चात मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया। दिनांक 07.05.2026 को समय 940 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति मे परिवादी श्री पृथवीराज सिहं हाडा ने अपने पास से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये भारतीय मुद्रा के मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है। क्रसं नोट का विवरण नंबर 1 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8FQ640151 2 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640152 3 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640153 4 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640154 5 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640155 6 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640156 7 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640157 8 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640158 9 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640159 10 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640160 11 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640161 12 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640162 13 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640163 14 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640164 15 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640165 16 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640166 17 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640167 18 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640168 19 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640169 20 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640170 21 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640171 22 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640172 23 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640173 24 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640174 25 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8FQ640175 26 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8FQ640176 27 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8FQ640177 28 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640178 29 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640179 30 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640180 31 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640181 32 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640182 33 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640183 34 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640184 35 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640185 36 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640186 37 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640187 38 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640188 39 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640189 40 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640190 41 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640191 42 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640192 43 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640193 44 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640194 45 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640195 46 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640196 47 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640197 48 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640198 49 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640199 50 एक नोट भारतीय मुद्रा पांच सौ रूपये का 8 FQ 640200 श्रीमति मीनाक्षी म.कानि. 278 से मालखाने में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी

निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया कि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। गवाह श्री इमरान खान से परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह की जामा तलाशी लिवाई तो उसके पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं पायी तथा परिवादी के पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को एक सफेद रंग के लिफाफे में रखवाकर श्रीमति मीनाक्षी म.कानि. 278 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमती मीनाक्षी म.कानि. 278 से वापस मालखाने मे रखवाई गई। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मीनाक्षी म.कानि. 278 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा जिससे इस बात की पुष्टि होगी कि आरोपी व्यक्ति द्वारा रिश्वती राशि को छुआ है या ग्रहण किया है। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता पडे तो हाथ जोडकर अभिवादन करे फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे, आरोपी के मांगने पर ही नोटो को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा आरोपी के द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर ईशारा करे अथवा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. पर मिस कॉल कर ईशारा करें। इसके बाद डिस्पोजल गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमति मीनाक्षी म.कानि. 278 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड केडीएम 16 जीबी डालकर परिवादी को सुपुर्द कर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोथफ्लीन पाउडर मुर्तिब की गई व सम्बन्धितों को पढ़ कर सुनाई गई। सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से धुलवाए जाकर सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई । टे्प पार्टी सदस्यों के पास विभागीय परिचय पत्रों व मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी। समय 1009 ए. एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा के मोबाईल नंबर से आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नंबर पर, आरोपी की लोकेशन जानने व रिश्वत राशि कहां पर देनी है कि जानकारी हेतु वार्ता कराई तो आरोपी ने स्वयं को कोटा में ही होना बताया। निर्धारित कोई जगह के बारे में जानकारी नहीं दी। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय 10.34 ए.एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा के मोबाइल नंबर से आरोपी श्री सतवीर सिंह के मोबाइल नंबर पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने के.पाटन जाना बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। करीब 1038 ए. एम पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा के मोबाइल नंबर से आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने परिवादी को 12 बजे पंचायत समिति, के. पाटन में मिलने के लिए कहा, उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। 10.45 ए.एएम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा को स्वयं की एक्टिवा पर तथा श्री मोहित चन्देल, स्टेनो एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 को प्राईवेट मोटरसाइकिल से परिवादी के पीछे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्रीमती सरोज हैका. 81, श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा व श्री इमरान खान मय चालक श्री महेन्द्र सिंह कानि. 507 चालक के सरकारी वाहन थार जीप से मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स, डीवीआर मय पूर्व मे उक्त कार्यवाही मे उपयोगशुदा मैमोरी कार्ड एंव कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री के केशोरायपाटन, बून्दी के लिए रवाना हुए तथा श्रीमती मीनाक्षी म.कानि. 278 को कार्यालय में ही छोडा गया। 11.30 ए.एम पर पूर्व में निर्देशानुसार रवानाशुदा परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा, श्री मोहित चन्देल, स्टेनो एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 गोपनीय स्थान पर म्न पुलिस निरीक्षक मय एसीबी ट्रेप टीम के उपस्थित मिले। 12.08 पी.एम परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा के मोबाइल नंबर से आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नंबर पर वार्ता करवाई तो आरोपी सतवीर सिंह ने परिवादी को पंचायत समिति केशोरायपाटन में मिलने आने को कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर

ऑन कर सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया। 12.10 पी.एम पर परिवादी को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को पुनः चालू व बंद करने की समझाइश कर डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी के कहे अनुसार रिश्वती राशि देने हेतु पंचायत समिति केशोरायपाटन के लिए उसकी स्वयं की एक्टिवा से रवाना किया । परिवादी के पीछे श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री मोहित चन्देल स्टेनो को प्राईवेट मोटरसाईकिल से तथा मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टे्प टीम मय गवाहान मय सरकारी जीप के पीछे-पीछे रवाना हुआ। 12.15 पी.एम परिवादी, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री मोहित चन्देल स्टेनो तथा मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टे्प टीम मय गवाहान मय सरकारी जीप के पंचायत समिति केशारायपाटन बूंदी के बाहर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए साइड में वाहन खडा कर मुख्य द्वार व सड़क के आसपास मुकीम हुआ जहां से मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी, भूपेन्द्र कानि. व श्री मोहित स्टेनो दिखाई दे रहे थे। थोडी देर बाद ही परिवादी आरोपी के साथ मेन गेट के पास बाउण्ड्री के भीतर आया तथा परिवादी से बातचीत करने लगा फिर उसके बाद आरोपी परिवादी की एक्टिवा पर उसके पीछे बैठकर कापरेन-अरनेठा जाने वाले मुख्य रोड़ पर रवाना हो गए। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री मोहित को मोटरसाईकिल से परिवादी व आरोपी का पीछा करने के निर्देश देकर मन पुलिस निरीक्षक भी मय एसीबी ट्रेप टीम, गवाहान के उनके पीछे रवाना हुआ। करीब 12.20 पी.एम पर आरोपी व परिवादी ने पाटन गर्ल्स कॉलेज के सामने बने मकान के आगे एक्टिवा को खडी की तथा आरोपी ने उस मकान का मुख्य दरवाजा खोलकर अन्दर प्रवेश किया उसके पीछे-पीछे परिवादी को भी अपने साथ आने का इशारा कर अन्दर ले गया। श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 व श्री मोहित चन्देल स्टेनो मकान के बाई तरफ बने अन्य मकान के बाहर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडे हुए तथा मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी ट्रेप टीम, गवाहान व सरकारी वाहन के उक्त मकान के ठीक सामने स्थित पाटन गर्ल्स कॉलेज के पार्किगं परिसर में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए निगरानी हेतु मुकीम हुआ। समय 1232 पी.एम पर आरोपी श्री सतवीर सिंह व परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा मकान के मेन गेट के बाहर आकर बातचीत करने लगे, तभी परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक की ओर पूर्व निर्धारित ईशारा मोबाईल पर मिसकॉल कर रिश्वत राशि ग्रहण कर लेने का किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक आस पास उपस्थित ट्रेप टीम सदस्यों को पीछे-पीछे आने का इशारा कर आरोपी को डिटेन करने हेतु मकान की ओर रवाना हुआ। समय 1234 पी.एम परिवादी के ईशारा करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय एसीबी ट्रेप टीम के उसके पास पहुंचा व डिजीटल वाईस रिकॉडर लेकर उसे बंद किया व सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री मोहित चन्देल स्टेनो वहां पहुंचे। ट्रेप टीम सदस्यों ने घेरा डालकर आरोपी को डिटेन किया। श्री मोहित चन्देल स्टेनो व श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 ने आरोपी के हाथों को पकड़ा । परिवादी श्री पृथ्वीराज सिहं हाडा ने गर्ल्स कॉलेज केशोरायपाटन के सामने स्थित मकान के बाहर आकर मुख्य गेट के सामने खडे होकर पूर्व निर्धारित ईशारा स्वंय के मोबाईल से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल कर किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया एवम् सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक व टीम को गवाहान के सामने बताया कि आरोपी श्री सतवीर सिंह ने जो मेरे पास खड़ा है इसी ने अभी-अभी मुझसे संदीप के किराय के उपर के कमरे में रिश्वत राशि का 25,000 रूपये का सफेद रंग का लिफाफा प्राप्त कर संदीप के किराए के कमरे में पलंग के उपर बिछी हुई बैडशीट पर रख दिये हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तो उक्त व्यक्ति एकदम से घबराकर पसीना पसीना हो गया। जिनको तसल्ली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सतवीर सिंह उर्फ सतवीर कुमावत पुत्र श्री केसराराम, जाति कुमावत (कुम्हार), उम्र 40 साल, निवासी पोस्ट कलाना, तहसील भादरा, पुलिस थाना भादरा, जिला हनुमानगढ हाल निवासी रिद्वि-सिद्वि कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा डॉ0 विलास राव का मकान हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सखावदा, पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सतवीर से परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा की तरफ ईशारा करते हुये पूछा कि अभी-अभी आपने पृथवीराज सिंह हाडा से 25,000/- रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा किस कार्य हेतु प्राप्त किया है। इस पर श्री सतवीर सिंह ने बताया कि मैनें पृथवीराज सिंह हाडा से कोई रिश्वत नहीं मांगी ना ही मैंने आज तक रिश्वत राशि प्राप्त की है इस पर पास ही खडे परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा ने बताया कि ग्राम पंचायत सखावदा में मेरे द्वारा किये गये टेण्डर के कार्यो के जारी किये गये बिलों के भुगतान के बदले व आरआरसी के काम में परेशान नहीं करने तथा मेरी टेण्डर के बदले जमा सिक्यूरिटी राशि वापस दिलाने के लिए एवज में, मेरे से 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। जिसकी शिकायत मैंने आपकी चौकी पर दिनांक 05.05.2026 को की थी। जिस पर दिनांक 06.05.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो इन्होंने मेरे से 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी तथा आज दिनांक 07.05.2026 को मिलने के लिए कहा था। इनकी मांग के अनुसार ही मैने आज इनको 25000 रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा इनके साथ उपर के कमरे मे जाकर दिया है जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर संदीप के किराए के कमरे मे पलंग के उपर बिछी बैडशीट के उपर रखे दिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर हमराह जाब्ता में से, आरोपी श्री सतवीर सिंह का बायां हाथ कलाई के उपर से श्री राजेन्द्र कानि एवं दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री मोहित चंदेल निजी सहायक से पकड़वाया गया जाकर हाथ पकडे ही आरोपी श्री सतवीर सिहं उर्फ सतवीर

कुमावत को मकान के अन्दर उपर के कमरे मे ले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसकी श्री भूपेन्द्र सिहं कानि0 292 से नियमानुसार विडियो रिकॉर्डिगं शुरू करवाई गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के आरोपी को यथा स्थिति मे लेकर मकान में प्रवेश किया तो मकान मालिक श्री दिनेश सिंह कालेरा पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 52 साल निवासी पाटन गर्ल्स कॉलेज के सामने मौजूद मिले जिन्होंने स्वयं का मकान होना बताया तथा मकान के उपर बने कमरे मे श्री संदीप किराए से रहना बताया। मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान, परिवादी व एसीबी टीम सहित ऊपर कमरे में पहुंचा जहां परिवादी ने बताया कि यह सदींप चौधरी का कमरा है। मै सदींप चौधरी को जानता हूं क्योंकि इनकी पत्नि श्रीमती सोनम नेहरा भी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीया मे लगी हुई है। इस पर परिवादी ने बैड की ओर ईशारा कर बताया कि मैने जब श्री सतवीर जी को रिश्वत राशि का लिफाफा दिया था तो इन्होने हाथ मे लेकर इसी पलंग पर रखा था जो पलंग पर ही रखा मिला जिसे यथावत ही रखा रहने दिया। तत्पश्चात कमरे के सामने बने बाथरूम से एक जग मे साफ पानी मगवाया जाकर दो अलग-अलग डिस्पोजल गिलासों मे साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री सतवीर सिह उर्फ सतवीर कुमावत के दाहिने हाथ की अगुलियां व अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का मटमेला हो गया, जिसे पृथक-पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर एच 1,आर एच 2 अंकित किया गया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला आया जिसे भी पृथक-पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल एच-1,एल एच 2 अंकित किया गया। इसके बाद गवाह श्री इमरान खान से पलंग पर बिछी बैडशीट पर रखे लिफाफे जिसमे रिश्वत राशि रखी हुई थी को उठवाया जाकर दोनो गवाहान से फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने पहचान कर हुबहु वहीं नोट होना बताया। बरामदशुदा नोटो के लिफाफे को रिश्वत राशि सहित एक पीले रंग के अनसिल्ड लिफाफे मे रखा गया। इसके बाद एक डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तथा एक रूई के फोहे से पलंग पर बिछी बैडशीट के उस हिस्से को रगडवाया और सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा भरवाकर चीट चस्पा कर सीलचीट कर मार्क एस-1,एस-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। बैडशीट के उस हिस्से को जहां रिश्वत राशि का लिफाफा रखा हुआ था उस हिस्से को काटकर एक सफेद कपडे की थेली मे पृथक से रखवाया जाकर सील मोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क - बी दिया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। बेडशीट के धोवन मे प्रयुक्त रूई के फोहे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थेली मे रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-सी अकिंत किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य कार्यवाही से पूर्व मोबाईल पर रिश्वत लेकर आने के संबंध में वार्ता होना पाया गया है इसलिये आरोपी श्री सतवीर सिहं द्वारा उपयोग में लिया गया मोबाईल वीवो कम्पनी का बरंग हल्का नीला जिसके आईएमईआई नंबर प्रथम एवं आईएमईआई नंबर द्वितीय जिसमें एक सिम जियो कम्पनी की तथा दूसरी सिम एयरटेल कंपनी की सिम नंबर रखी हुई है को कब्जे ब्यूरो लिया जाकर मोबाईल को अनसिल्ड रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में बरामदगी के दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से सरकारी मोबाईल में नया मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाईल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही व बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई। आरोपी द्वारा जिस मकान के किराए के कमरे मे रिश्वत राशि का लिफाफा लेकर पंलग की बैडशीट पर रखा था वो मकान मेन रोड से लगवा होने के कारण कई व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे तथा आस पास दूकानो ंसे भी भीड इकट्ठा होने लगी थी इसलिए सूरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु बरामद शुदा रिश्वत राशि 25000 रूपये का लिफाफा, धोवन के 6 सैम्पल, बेडशीट के हिस्से का सील्डशुदा पैकिट, रूई के फोहे का सील्डशुदा पैकिट तथा आरोपी का अनशिल्ड मोबाईल एवं ट्रेप बाक्स मय आरोपी के हमराह साथ लेकर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के कार्यालय पंचायत समिति केशौरायपाटन, बूंदी के लिए रवाना हुआ, करीब 1210 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स जब्तशुदा आर्टिकल्स, दोनों गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह मय राजकीय वाहन जीप से कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन के लिए पहुंचा जहां श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री मोहित चन्देल स्टेनो उनकी प्राईवेट मोटरसाईकिल से तथा परिवादी उसकी स्वयं की एक्टिवा से कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन उपस्थित मिले। समय करीब पर 0220 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक, कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन, बूंदी में, श्री धनराज मीणा अतिरिक्त विकास अधिकारी उपस्थित मिले जिनसे कार्यवाही करने हेतु एक कक्ष की जरिए तहरीर पेश कर मांग की तो उन्होंने कार्यालय में स्थित प्रधान कक्ष उपलब्ध कराया जिसमे अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु ट्रेप टीम मय ट्रेप बॉक्स जब्तशुदा आर्टिकल्स, दोनों गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह को प्रवेशित किया गया। 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन, बूंदी में श्री धनराज मीणा अतिरिक्त विकास अधिकारी को परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा के ग्राम पंचायत सखावदा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करवाए गए कार्यों के पेण्डिग बिलों, परिवादी

की फर्म को दिए गए टेण्डर, कार्यादेश एवं आर.आर.सी. से संबंधित टेण्डर, कार्यादेश, परिवादी की अमानत राशि इत्यादि से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां तथा आरोपी का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी कर प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई 250 पी.एम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से लेपटॉप में लगवाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में सेव मोबाईल वार्ता प्रथम दिनांक 07.05.2026 जो परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा व आरोपी सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी व गवाहान को सुनाया गया तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिंह की होना पहचान करने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। करीब 03.15 पी.एम परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से लेपटॉप में लगवाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में सेव मोबाइल वार्ता द्वितीय दिनांक 07.05.2026 जो परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा व आरोपी सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी व गवाहान को सुनाया गया। तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिंह की होना पहचान करने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से बनवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। समय करीब 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से लेपटॉप में लगवाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में सेव मोबाइल वार्ता तृतीय दिनांक 07.05.2026 जो परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा व आरोपी सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी व गवाहान को सुनाया गया तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिंह की होना पहचान करने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से बनवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए समय करीब 03.40 पी.एम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से लेपटॉप में लगवाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में सेव मोबाइल वार्ता चतुर्थ दिनांक 07.05.2026 जो परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाडा व आरोपी सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी व गवाहान को सुनाया गया तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिंह की होना पहचान करने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से बनवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। समय करीब 03.55 पी.एम पर परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से लेपटॉप में लगवाकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में सेव रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 07.05.2026 जो परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा व आरोपी सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी व गवाहान को सुनाया गय तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज श्री सतवीर सिंह की तथा अन्य व्यक्ति संदीप की आवाज की होना पहचान करने पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से बनवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। समय करीब 0525 पी.एम पर श्री महेन्द्र सिंह कानि चालक 507 को मय सरकारी वाहन थार जीप के कार्यालय इन्टै0 एसीबी कोटा पहुंचने हेतु हिदायत कर रूखसत किया। समय करीब 5.30 पी. एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री इमरान खान व श्री दीपक कुमार मीणा के समक्ष आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी को जरिए नोटिस सूचित किया गया कि आप व परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह दिनांक 06.05.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता हुई है तथा आज दिनांक 07.05.2026 को आपके व परिवादी के मध्य हुई मोबाइल वार्ताएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तथा वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता, जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान आपकी नमूना आवाज से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर से परीक्षण करवाया जाना होने से आरोपी को नमुना आवाज देने हेतु नोटिस देने पर आवाज नमुना देने से मना किया। नोटिस नमूना आवाज की जवाबशुदा प्रति शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 07.05.2026 समय 05.45 पी.एम पर गवाहान श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान के समक्ष आरोपी श्री सतवीर सिंह उर्फ सतवीर कुमावत पुत्र श्री केसराराम जाति कुमावत (कुम्हार) उम्र 40 साल निवासी पोस्ट कलाना तहसील भादरा, पुलिस थाना भादरा, जिला हनुमानगढ हाल निवासी रिद्दि सिद्दि कोलोनी कुन्हाडी कोटा डा0 विलास राव का मकान हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सखावदा पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी को मन् पुलिस निरीक्षक पृथवीराज मीणा ने अपने पूर्ण पद व परिचय से अवगत कराया। आरोपी को उसका जुर्म पढ़कर सुनाया कि आपके विरूद्ध परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाड़ा ने अपने बिल पास करने के पश्चात उससे बिल बनाने की एवज, सिक्योरिटी राशि 10,000/-रू. वापस दिलवाने, आर.आर.सी. के तहत मिले कार्य को निर्बाध रूप से करने देने व परेशान नहीं करने की एवज में 25,000/-रू. रिश्वत राशि मांग करने बाबत प्रार्थना पत्र 05.05.2026 को पेश

करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथयों के क्रम में दिनांक 06.05.2026 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया जिसमें आप द्वारा 25,000/-रू. रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि होने पर आज दिनांक 07.05.2026 को आप द्वारा अपनी मांग अनुसार 25,000/-रू. रिश्वत राशि ग्रहण की गई जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व संशोधित एक्ट 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक होने, गवाहों को डराने, धमकाने व अन्य अपराध करने के निवारण करने व साक्ष्यों से छेड़छाड से निवारित करने हेतु धारा 35 (3) बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों की पालना करते हुए आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों व कानूनी अधिकारों से अवगत करवाते हुये कार्यवाही हाजा में हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन, बूंदी में कार्यरत श्री परमेश्वर गुप्ता को दी गई जिनके मोबाइल नंबर हैं। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री इमरान खान से लिवाई गई तो अलावा पार्चजात पोशुदगी के कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय-6.00 पी.एम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी को श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 व श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 की निगरानी में छोड़कर बाद मुनासिब हिदायत मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाड़ा मय स्वतंत्र गवाहान श्री इमरान खान व श्री दीपक कुमार मीणा के नक्शा मौका घटनास्थल पाटन गर्ल्स कॉलेज के सामने श्री दिनेश सिंह कालेरा हेतु रवाना हुआ। समय7.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाड़ा मय स्वतंत्र गवाहान श्री इमरान खान व श्री दीपक कुमार मीणा के बाद निरीक्षण घटनास्थल कर वापस कैम्प कार्यालय पंचायत समिति केशोरायपाटन बूंदी आया। समय 825 पी.एम पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, श्री मोहित चन्देल स्टेनो, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह का स्वास्थय परीक्षण करवाने हेतु मेडिकल ज्यूरिष्ट, राजकीय चिकित्सालय, केशोरायपाटन, बूंदी को संबोधित तहरीर दी जाकर राजकीय चिकित्सालय के0पाटन बूंदी रवाना किया। समय-955 पी.एम पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, श्री मोहित चन्देल स्टेनो, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह के बाद स्वास्थय परीक्षण वापस आये, स्वास्थय परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 08.05.2026 को 0145 ए.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान व परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाड़ा के समक्ष आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाड़ा के मध्य दिनांक 06.05.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 07.05.2026 को आरोपी का लोकेशन जानने हेतु करवाई मोबाइल वार्ता कुल 04 मोबाइल वार्ताएं एवं वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे दूसरे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त दोनों मैमोरी कार्डो में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाइल वार्ताएं व रिश्वत लेन देन वार्ता कुल 06 वार्ताओं को मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 द्वारा पृथक-पृथक दोनों मैमोरी कार्डो से कॉपी कर 04 अलग-अलग पेन ड्राइव में प्रतिलिपिकरण कर सेव की जाकर 04 पेनड्राइव तैयार करवाए गए । दोनों मैमोरी कार्डों की हैश वैल्यू निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया। तैयारशुदा एक पेनड्राइव एफ.एस.एल. जयपुर से नमूना आवाज मिलान के लिए, एक पेनड्राइव न्यायालय के लिए, एक पेनड्राइव आरोपी के लिए कुल 03 पेनड्राइव को अलग-अलग कपडे़ की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। एक पेनड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड रखा गया। दोनों मैमोरी कार्डों को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। सील्डशुदा पेनड्राइव व मैमोरी कार्ड के पैकिटों पर नमूना सील अंकित की गई। फर्द प्रतिलिपिकरण पेनड्राइव व जब्ती मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए। समय 02.26 ए.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कुमार मीणा, श्री इमरान खान व परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाड़ा के समक्ष आरोपी श्री सतवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 07.05.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी को डिटेन कर पूछताछ करने व आरोपी के हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि व बेडशीट धोवन इत्यादि कार्यवाही ऑडियो-वीडि़ो रिकॉर्डिंग जो वक्त कार्यवाही हमराह श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड डलवाकर रिकॉर्ड करवाई गई थी। उक्त ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन मे श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 द्वारा सरकारी लेपटॉप से मोबाइल में लगे मैमोरी कार्ड में लगे उक्त ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी कर सीधे ही 02 पेनड्राइव में लिया गया। उक्त ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की हैश वैल्यू निकालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया एवं तैयारशुदा 02 पेनड्राइव में से 01 पेनड्राइव को कपडे में थैली में रखकर आरोपी के लिए सील्ड मोहर किया व 01 पेनड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड रखा गया। सील्डशुदा पेनड्राइव व मैमोरी कार्ड के सील्डशुदा पैकिटों पर नमूना सील अंकित कर फर्द प्रतिलिपिकरण पेनड्राइव व जब्ती मैमोरी कार्ड तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 0515 ए.एम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर पर परिवादी श्री पृथवीराज सिंह हाडा को आवश्यक समझाइश का मौके से रूखसत किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय टीम मय स्वतंत्र गवाह, मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सतवीर सिंह

मय कार्यवाही के दौरान जप्त किये गये समस्त आर्टिकल मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, एस-1, एस-2, बी, मार्क सी जप्तशुदा 03 मेमोरी कार्ड, 05 पेन ड्राईव के सील्ड पैकेट तथा 02 पेन ड्राईव अनसील्ड तथा रिश्वत राशि का अनसिल्ड लिफाफा व आरोपी का अनसील्ड मोबाईल मय लेपटॉप प्रिन्टर, बॉक्स इत्यादी के सरकारी तथा प्राईवेट वाहन से कोटा रवाना हुआ। समय 0620 ए.एम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम सतवीर सिंह मय टीम व स्वतंत्र गवाह के, के0 पाटन से रवाना हो थाना नयापुरा पहुंचा, आरोपी को सुरक्षा की दृष्टी से थाना नयापुरा हवालात में बंद करवाकर चौकी हाजा पर आया। जप्त व बरामदशुदा समस्त आर्टिकल मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, एस-1, एस-2, बी, मार्क सी जप्तशुदा 03 मेमोरी कार्ड, 05 पेन ड्राईव के सील्ड पैकेट तथा 02 पेन ड्राईव अनसील्ड तथा रिश्वत राशि का अनसिल्ड लिफाफा व आरोपी का अनसील्ड मोबाईल मय लेपटॉप प्रिन्टर, बॉक्स इत्यादी कार्यालय हाजा आया जप्त व बरामदशुदा उक्त समस्त आर्टिकल श्रीमति सरोज हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गयां। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही व फर्दात से आरोपी श्री सतवीर सिंह द्वारा परिवादी श्री पृथ्वीराज सिंह हाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत सखावदा के अधीन स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यों के बिल पास करने के पश्चात उससे बिल बनाने की एवज, सिक्योरिटी राशि 10,000/-रू. वापस दिलवाने, पुनः लिए गए आर.आर.सी. के तहत मिले कार्य को निर्बाध रूप से करने देने व परेशान नहीं करने की एवज में 25,000/-रू. रिश्वत राशि मांग करना, दौराने सत्यापन आरोपी श्री सतवीर सिंह द्वारा 25,000/-रू. रिश्वत मांग की पुष्टि होना, दौराने टेªप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से 25,000/-रू. अपने मिलने वाले के मकान पर ले जाकर ग्रहण करना, रिश्वत राशि बेड पर रखना, बेड पर बिछी बेडशीट के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग मटमैला आना, रिश्वती राशि आरोपी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में बेड के ऊपर से बरामद होना इत्यादि सम्पूर्ण तथयों से आरोपी श्री सतवीर सिंह उर्फ सतवीर कुमावत पुत्र श्री केसराराम जाति कुमावत (कुम्हार) उम्र 40 साल निवासी पोस्ट कलाना तहसील भादरा, पुलिस थाना भादरा, जिला हनुमानगढ हाल निवासी रिद्धि सिद्धि कोलोनी कुन्हाडी कोटा डा0 विलास राव का मकान हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सखावदा पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित एक्ट 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री सतवीर सिंह उर्फ सतवीर कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। श्री पृथ्वीराज मीणा,पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो एसयू कोटा.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सतवीर सिंह उर्फ सतवीर कुमावत, पुत्र श्री केसराराम जाति कुमावत(कुम्हार) उम्र 40 साल निवासी पोस्ट कलाना तहसील भादरा, पुलिस थाना भादरा, जिला हनुमानगढ हाल निवासी रिद्धि सिद्धि कोलोनी कुन्हाडी कोटा डॉ0विलास राव का मकान हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सखावदा पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 789 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 775-78 दिनांक 10.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला स्थापना समिति जिला परिषद बून्दी 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/05/2026 21:27:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)